

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 139/25

तारीख 06/06/25

पन्नालाल पुत्र तिलोक जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

बनाम

.....प्रार्थी

01. ऊकार पुत्र भवाना जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
02. कैलाश पुत्र पन्नालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
03. गोपाल पुत्र मोहनलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
04. बालू पुत्र तिलोक जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
05. कैलाशचन्द्र पुत्र घीसालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
06. शम्भुलाल पुत्र बालू जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
07. छीतर पुत्र नन्दा जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक: 01/07/25

प्रार्थना पत्र लाडदेवी पत्नि विरेन्द्र कुमार जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड़ प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा मानगढ पटवार हल्का बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 14 पर अंकित आराजी संख्या 47 रकबा 1.1088 हैक्टेयर भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ोसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलिया खुर्द को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस 500/- रूपयें तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा मानगढ पटवार हल्का बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 14 पर अंकित आराजी संख्या 47 रकबा 1.1088 हैक्टेयर भूमि बशामलात पड़ोसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रकरण संख्या - 139/25

धेति :-

तहसीलदार
बिजौलियाँ

तारीख 6/6/25

विषय :- प्रकरण संख्या 139 / 2025 पत्थरगढी बावत।

पन्नालाल पुत्र तिलोक जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

बनाम

01. रुकार पुत्र भवाना जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
02. कैलाश पुत्र पन्नालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
03. गोपाल पुत्र मोहनलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
04. बालू पुत्र तिलोक जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा तहसील जिला भीलवाड़ा (राज.)
05. कैलाशचन्द्र पुत्र घीसालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा तहसील बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
06. शम्भुलाल पुत्र बालू जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
07. छीतर पुत्र नन्दा जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा मानगढ पटवार हल्का बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 14 पर अंकित आराजी संख्या 47 रकबा 1.1088 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पडोसीयान के पत्थरगढी की जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षकर बिजौलिया खुर्द को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500/- तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडोसीयान को सूचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ